नवोन्मेष

रुक्टा (राष्ट्रीय)

सार्ध शती वर्ष
(1863-2013)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, **अजमेर-305 001** (राज.)
दूरभाष : अध्यक्ष : डॉ. मधुर मोहन रंगा, अजमेर (0145) 2429341, मो. 9414008425
महामंत्री : डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042

परिपत्र क्रमांक : रुक्टा (रा.)/2012-13/04 **दिनांक: 29 जनवरी, 2013**
(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

''यदि आप भारत को जानना चाहते हैं, तो विवेकानंद का अध्ययन करें। उनमें सब कुछ सकारात्मक है और नकारात्मक कुछ भी नहीं।''
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रिय महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार!

12 जनवरी 2013 से प्रारम्भ हुए स्वामी विवेकानंदजी के सार्ध शताब्दी वर्ष एवं 26 जनवरी, 2013 भारतीय गणतंत्र की 63वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। यही कामना है कि भारतीय गणतंत्र स्वामी विवेकानंद के दर्शाये मार्ग पर चलते हुए विश्व का मार्गदर्शन करता रहे।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में सम्पन्न 51 वें प्रांतीय अधिवेशन के विस्तृत विवरण, नवमनोनीत कार्यकारिणी, महामंत्री प्रतिवेदन, 30 जून 2012 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित आय-व्यय विवरण, अधिवेशन में पारित प्रस्ताव, मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा से भेंट के विवरण व अन्य सूचनाओं के साथ यह परिपत्र प्रेषित है -

1. **रुक्टा (रा.) का 51 वाँ प्रांतीय अधिवेशन सम्पन्न :** संगठन का 51वाँ प्रांतीय अधिवेशन 7 व 8 जनवरी 2013 को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन ज.ना. वि. वि. रुक्टा (रा) इकाई जोधपुर, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक मंच, जोधपुर व द इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स (इण्डिया), जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। अधिवेशन में राज्य के लगभग सभी जिलों से राजकीय महाविद्यालयों एवं चार विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने उत्साह से भाग लिया। व्याख्याताओं, आचार्यों (professors), शारीरिक शिक्षकों, पुस्तकालाध्यक्षों सहित अनेक सेवानिवृत्त शिक्षकों के सक्रिय सहयोग ने अधिवेशन को सफल एवं जीवन्त बनाया। शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल, महामंत्री प्रो. जे.पी. सिंघल, संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर, शैक्षिक मंथन के प्रधान सम्पादक प्रो. संतोष पाण्डेय, विराट नगर विधायक प्रो. फूलचन्द भिण्डा, अजमेर विधायक प्रो. वासुदेव देवनानी, राजस्थान तकनीकी वि. वि. के पूर्व कुलपति प्रो. दामोदर शर्मा की अधिवेशन की सम्पूर्ण कालावधि में उपस्थिति विशेष रूप से प्रेरणादायी रही।
2. **अधिवेशन का उद्घाटन माननीय भय्याजी जोशी द्वारा :** 51वें प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय भय्याजी जोशी ने माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर भारत मां व स्वामी

विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। उद्घाटन सत्र की, अध्यक्षता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने की। विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री प्रो. जे. पी. सिंहल थे। आयोजन अध्यक्ष प्रो. ए. के. गुप्ता ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। रुक्टा(रा.) के अध्यक्ष डॉ. ग्यारसीलाल जाट व महामंत्री डॉ. मधुर मोहन रंगा ने अतिथियों को माल्यार्पण कर एवं श्रीफल, शाल, स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। रुक्टा (रा.) के अध्यक्ष ने राज्य में शिक्षा के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। महामंत्री ने संगठन की वर्ष भर की गतिविधियों का विवरण देते हुए राज्य में उच्च शिक्षा की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया एवं संगठन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया।

मुख्य अतिथि माननीय भय्याजी जोशी ने कहा कि शिक्षा विद्यार्थी को सुप्त अवस्था से जाग्रत करने का माध्यम है, जो मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करता है। बालक हमारी जीवन शैली से घरों में ही संस्कार सीखते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुलों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रख कर शिक्षा प्रदान की जाती थी, परन्तु आजकल शिक्षा व्यवसाय बन गई है। स्वाधीनता के बाद शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आया, पश्चिम का प्रभाव शिक्षा प्रणाली पर पड़ा, किन्तु विचारणीय प्रश्न है कि क्या भौतिक साधन उपलब्ध कराना ही शिक्षा का उद्देश्य है? शैक्षिक संस्कारों का सृजन होना चाहिये, इसमें शिक्षकों का योगदान होता है। शिक्षा नीति मनुष्य निर्माण करने वाली व संस्कार युक्त होनी चाहिये, उपाधि प्राप्त करने से व्यक्ति शिक्षित तो हो सकता है परन्तु सुशिक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि आधुनिकता का विरोध हम नहीं करते परन्तु आधुनिकता सकारात्मक दिशा में होनी चाहिये। हमारी शिक्षा मनुष्यत्व से देवत्व की ओर अग्रसर करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा संस्कारों का वर्धन होना चाहिये, विकारों का नहीं। सकारात्मक परिवर्तन उत्थान के लिए होता है, जबकि नकारात्मक परिवर्तन पतन का मार्ग प्रशस्त करता है, अत: हमें सकारात्मक परिवर्तन की ओर सोचना चाहिये। इससे पूर्व डॉ. सोमकांत भोजक ने काव्य गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सोच से ही सकारात्मक परिवर्तन संभव होगा, हम सभी इसी सोच के साथ चलते हैं। हमारी कालगणना पूर्णत: वैज्ञानिक है और संगठन के प्रयासों से वर्ष प्रतिपदा को अकादमिक क्षेत्र में उत्साह से मनाया जाने लगा है। उन्होंने रेखांकित किया कि हमारा संगठन केवल शिक्षकों के अधिकारों की ही नहीं वरन् कर्तव्य बोध की भी बात करता है।

उद्घाटन कार्यक्रम में संगठन के संस्थापक महामंत्री प्रो. सत्यदेव देराश्रीजी के पुत्र डॉ. भोमेश्वर देराश्री भी उपस्थित थे, उन्होंने संगठन को हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। उद्घाटन सत्र में स्मारिका व शैक्षिक मंथन के सार्धशती प्रवेशांक का विमोचन भी किया गया। आयोजन सचिव डॉ. सुनील परिहार ने सभी का आभार व्यक्त किया।

3. **देराश्री स्मृति व्याख्यानमाला में श्री वी. एस. कोकजे पूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा व्याख्यान :** प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर इस वर्ष का देराश्री स्मृति व्याख्यान श्री वी. एस. कोकजे, पूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान ने दिया। समारोह की अध्यक्षता जोधपुर विधायक श्री कैलाश भंसाली ने की। मंच पर प्रो. सत्यदेव देराश्रीजी की सुपुत्र डॉ. भोमेश्वर देराश्री भी उपस्थित थे। श्री कोकजे ने कहा कि भारत में शिक्षा ज्ञानोपार्जन के लिए होती थी न कि धनोपार्जन के लिए। कालान्तरण में शिक्षा का संस्थाकरण होने से परिवर्तन आया, गुरु गौण हो गया व संस्था महत्वपूर्ण हो गई। शिक्षा का प्रसार जरूर हुआ परन्तु गुणवत्ता घटती गई। आज आंग्ल भाषा का ज्ञान होने पर ज्ञानी माना जाने लगा है जबकि मातृभाषा के माध्यम से ही बालक का समग्र विकास होता है। उन्होंने उच्च शिक्षा की पात्रता बौद्धिक आधार पर तय करने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि आज कैपीटेशन फीस देकर किसी भी प्रकार की डिग्री प्राप्त की जा सकती है, अत: उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित मापदण्ड तय करने पड़ेंगे। उनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा में शैक्षिक, आर्थिक व प्रशासनिक स्वायतत्ता होनी चाहिये, शिक्षा को नौकरशाही से मुक्त किया जाना चाहिये। कार्यक्रम अध्यक्ष जोधपुर विधायक श्री कैलाश भंसाली ने कहा कि नैतिक शिक्षा से ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होगा। शिक्षा समाज परिवर्तन का वाहक है, अत:

उचित दिशा में शिक्षा का प्रचार व प्रसार होना चाहिये। इससे पूर्व मुख्यवक्ता व कार्यक्रम अध्यक्ष ने देराश्रीजी के चित्र पर माल्यार्पण किया, महामंत्री ने प्रो. सत्यदेव देराश्रीजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दिया। जोधपुर विश्वविद्यालय के सिंडीकेट सदस्य डॉ. अखिलरजंन गर्ग ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. हीराराम ने किया।

4. **समूहशः बैठकें सम्पन्न :** 7 जनवरी को सायंकाल समूहशः बैठकें सम्पन्न हुई। जिनमें विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आये शिक्षकों ने भाग लिया बैठक में प्रतिनिधियों ने रुक्टा (रा) की विभिन्न इकाईयों द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। प्रस्तावों के साथ विभिन्न इकाईयों की स्थिति व वहाँ के शिक्षकों की समस्याओं पर विचार किया गया। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षकों के एरियर का बकाया भुगतान अविलम्ब करने के साथ ही पदनाम परिवर्तन नहीं किये जाने, पूर्व सेवा का लाभ नहीं देने, पीएच.डी. उपाधिधारियों को सी.ए.एस. के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोत्साहन वेतन वृद्धियों को यू.जी.सी. की अनुंशसाओं के विपरीत बकाया सहित वापिस लेने पर आपत्ति व्यक्त की गई। पेंशन पुनः निर्धारण, परिवीक्षा काल में सेवा के सम्पूर्ण लाभ प्रदान करने, संविदा व्याख्याताओं की समस्याएँ, अकादमिक अवकाश, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के रिक्त पदों पर तुरन्त नियुक्ति, इन संस्थाओं में लम्बित पदोन्नति पर शीघ्र कार्यवाही करने, यू.जी.सी. व ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा प्रदत्त परिलाभ प्रदान करने, विधि महाविद्यालयों को स्वतंत्र महाविद्यालय का दर्जा देने, यू.जी.सी. के सम्पूर्ण पैकेज को लागू करने, शिक्षा सेवा (महाविद्यालय) में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति को वापस लेकर निदेशक पद पर वरिष्ठतम शिक्षक की नियुक्ति करने, परीक्षा पारिश्रमिक में वृद्धि करने, सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. हेतु कोर्स वर्क से मुक्त करने, वरिष्ठ व चयनित वेतनमानों के लिए संवीक्षा बैठक आयोजित करने, आर. वी. आर. ई. एस. प्राध्यापकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण करने, शिक्षकों के स्थाईकरण के आदेश जारी करने, संतोषजनक गोपनीय रिपोर्ट को पदोन्नति में स्वीकार करने, भरतपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने, शिक्षा सत्र के मध्य में तबादले न करने, बीकानेर वि. वि. में शिक्षक कल्याण कोष की व्यवस्था करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। महामंत्री ने संगठन द्वारा किये गये प्रयासों को प्रस्तुत किया व अन्य सुझावों को रचनात्मक बताते हुए इन सभी पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु शिक्षकों को आश्वस्त किया।

5. **संस्कार भारती द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति :** 7 जनवरी को समूहशः बैठकों के उपरांत संस्कार भारती, जोधपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने अधिवेशन में राज्य के कोने-कोने से आए शिक्षकों को देशभक्ति एवं आध्यात्मिकता के मिले-जुले संगीतमय रंगों में जमकर भिगोया। संस्कार भारती द्वारा दी गई भावपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित शिक्षक समुदाय भाव विभोर हो गया। महामंत्री ने इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए संस्कार भारती जोधपुर महानगर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।

6. **''वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन की सार्थकता'' विषय पर शैक्षिक संगोष्ठी सम्पन्न :** अधिवेशन के दूसरे दिन 8 जनवरी को प्रातः ''वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन की सार्थकता'' विषय पर शैक्षिक संगोष्ठी सम्पन्न हुई। संगोष्ठी के संयोजक डॉ. राजेन्द्र शर्मा ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि मनुष्य का विकास ज्ञान की पूर्णता में ही निहित है, इसी पूर्णता के कारण उसका निर्माण संभव है, हमें उन विचारों को आत्मसात् करना होगा जो जीवन निर्माण व चरित्र निर्माण में सहायक हो। शैक्षिक संगोष्ठी के मुख्यवक्ता डॉ. हनुमान प्रसाद व्यास, पूर्व निदेशक ठोस अवस्था भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने कहा कि विवेकानंद के अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों के बिना शिक्षा अधूरी है। प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा जीवन मूल्यों पर आधारित रही है इसी कारण आज भी प्रासंगिक है। शिक्षा का ढांचा राष्ट्र विकास के अनुसार होना चाहिये। हमें हमारे अतीत के योगदान से सीखना चाहिये। प्राचीन व अर्वाचीन विचारों के मध्य सेतु बना कर चरित्र निर्माण व समग्र निर्माण के लिए सोचना चाहिये। उन्होंने कहा कि भारत आत्मविश्वास के कारण ही विश्व गुरु बना, भारत का ज्ञान वास्तविक व मूल है। स्वामी जी ने पश्चिमी जगत को कहा ''तुम हमें

औद्योगिक शिक्षा दो मैं तुम्हें आध्यात्मिक शिक्षा दूँगा, इसी से मानव कल्याण होगा।'' सत्य, शुद्धता, व परमार्थ जिस व्यक्ति में है, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि विषय का ज्ञान व चरित्र ही वास्तविक शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा ही जनजागरण होगा उसी से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वामीजी ने महिला शिक्षा पर जोर देकर कहा कि महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार व समाज शिक्षित होगा। शिक्षा इस प्रकार की हो कि वह जीवन में आने वाली कठिनाईयों को सुगमता से हल करने वाली हो, उपाधि या अधिकतम अंकों से पास होने वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिये। जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों का सृजन कर उसके अनुसार जीने की कला ही शिक्षा है, परीक्षा पर अधिक जोर न देकर सीखने पर बल होना चाहिये। निष्काम कर्म व सतत् प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। डॉ. व्यास ने कहा कि स्वामी जी के शैक्षिक चिंतन से सम्पूर्ण भारत के साथ विश्व का भी समग्र विकास संभव है। स्वामी जी ने अल्प आयु में ही एक सार्थक चिंतन प्रदान कर निष्काम कर्मयोगी की तरह अनन्त यात्रा की ओर अग्रसर होकर समस्त मानव मात्र को विश्व कल्याण का संदेश दिया। उनका चिन्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रासंगिक है। इससे पूर्व डॉ. नारायण लाल गुप्ता, अजमेर ने कहा कि शिक्षा वही है जिसके द्वारा प्रकृति के रहस्यों का ज्ञान हो एवं नैतिकता व आध्यात्मिकता का विकास हो। शिक्षा सिर्फ तथ्यों की जानकारी नहीं है वरन् व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास का माध्यम है। डॉ. हरिसिंह राजपुरोहित, जालोर ने कहा कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारे मौलिक चिंतन पर आधारित है, हमारी विरासत है, इसी से मानव सम्पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पत्र वाचन करने वाले शिक्षकों को संगठन द्वारा प्रमाण-पत्र दिये गये। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर जी ने कहा कि विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन से ही भारत व विश्व का सर्वमुखी विकास होगा। संगठन अध्यक्ष व महामंत्री ने मुख्यवक्ता व कार्यक्रम अध्यक्ष को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया।

7. **51वें प्रान्तीय अधिवेशन का खुला सत्र सम्पन्न :** 8 जनवरी को 51वें प्रांतीय अधिवेशन का खुला सत्र् व वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुई। इस सत्र में महामंत्री ने गत सत्र की गतिविधियों का विवरण देते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। महामंत्री ने 30 जून 2012 को समाप्त हुए वर्ष का अंकेक्षित आय-व्यय विवरण तथा 30 जून 2012 को समाप्त वर्ष के चिट्ठे (बैलंस शीट) को सदन के पटल पर रखा, जिसे सदन ने अनुमोदित किया। महामंत्री प्रतिवेदन व आय-व्यय लेखे की प्रति संलग्न है। समूहश: बैठकों में हुए विचार विमर्श व शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर अधिवेशन में अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव स्वीकार किये गये। इनमें पूर्व में पारित प्रस्तावों की पुन: पुष्टि करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि सभी शिक्षकों के प्रति एक समान नीति अपनाते हुए न्यायालयों द्वारा निर्णय कराने की प्रवृत्ति का परिहरण करें और सार्वजनिक धन को लोक कल्याणकारी कार्यों में लगायें। संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य में गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था बनाने हेतु सभी श्रेणियों का मानव संसाधन शीघ्र प्रदान करे। साधारण सभा ने संगठन की गतिविधियों में महिला शिक्षकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए कार्यकारिणी में एक महिला उपाध्यक्ष एवं एक महिला संयुक्त मंत्री की व्यवस्था संविधान संशोधन होने तक कार्यकारिणी को इन पदों पर मनोनयन के अधिकार देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। नवमनोनीत कार्यकारिणी के नामों की घोषणा शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल ने की जिसे सदन ने अनुमोदित किया।

8. **सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान :** संगठन के 51 वें प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर जोधपुर संभाग के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षकों को समारोप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. वासुदेव देवनानी व कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमती सूर्यकांता व्यास ने प्रशस्ति पत्र, श्रीफल व शॉल भेंटकर सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों में प्रो. भवानीमल माथुर, प्रो. दामोदरभानु शर्मा, प्रो. श्यामलाल चौधरी, प्रो. महावीर प्रसाद भूतड़ा, प्रो. द्वारकालाल माथुर, प्रो. प्रसन्नमल सिंघवी, प्रो. महावीर प्रसाद कुम्पावत, प्रो. नरेश श्रीवास्तव, प्रो. सुमतप्रसाद गर्ग, प्रो. फतहकृष्ण कपिल, प्रो. रुडमल शर्मा, प्रो. श्यामसुन्दर शर्मा, प्रो. नंदकिशोर

माहेश्वरी, प्रो. निर्मला उपाध्याय, प्रो. उर्मिला सिंघवी, प्रो. हस्तीमल शर्मा, प्रो. किशन सोनी, प्रो. श्यामसुन्दर पणिया, प्रो. रमाकांत शर्मा, प्रो. सुगनसिंह चौहान, प्रो. पूरणमल जोशी, प्रो. कांतिलाल बोहरा सम्मिलित थे। सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान व उनकी समस्याओं को उठाना रुक्टा (रा.) की रचनात्मक कार्यशैली को इंगित करता है।

9. **समारोप कार्यक्रम सम्पन्न :** खुले अधिवेशन के पश्चात् समारोप कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य में सरकार का उच्च शिक्षा के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार है, उच्च शिक्षा दिशाहीन हो रही है, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न विभागों में पद रिक्त पड़े हैं। राज्य सरकार यू.जी.सी. की अनुशंसाओं को समग्र रूप से लागू नहीं कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्ष सूरसागर (जोधपुर) विधायक श्रीमती सूर्यकांता व्यास ने कहा कि उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा की भी स्थिति चिंताजनक है, राज्य में अधिकतर विद्यालय खाली पड़े हैं, वहाँ आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में विद्यार्थी को उचित ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? उन्होंने कहा कि बालक का सम्पूर्ण विकास हो ऐसी शिक्षा देनी चाहिये। विशिष्ट अतिथि डॉ. डी. के. सिंघल ने द इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स का परिचय दिया। इस अवसर पर नवीन कार्यकारिणी का परिचय कराया गया। अधिवेशन संयोजक डॉ. कैलाश डागा ने सभी संभागियों व अतिथियों का आयोजक इकाई की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। महामंत्री ने सभी का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मोइनुद्दीन ने किया। संगठन के अध्यक्ष ने अधिवेशन के समापन की घोषणा की।

10. **अधिवेशन हेतु अकादमिक अवकाश के आदेश जारी :** रुक्टा (रा.) के 51 वें प्रांतीय अधिवेशन में भाग लेने हेतु निदेशालय ने आदेश क्रमांक एफ 8 (17) रुक्टा (रा.)/अकाद/निकाशि/2011/273 दिनांक 14-12-2012 के तहत अकादमिक अवकाश के आदेश जारी किये हैं।

11. **अधिवेशन की सफलता के लिए शुभकामना संदेश :** 51वें प्रान्तीय अधिवेशन की सफलता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष व प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा के शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं। संगठन सभी का आभार व्यक्त करता है।

12. **नवमनोनीत कार्यकारिणी : अध्यक्ष :-** डॉ. मधुर मोहन रंगा-मालपुरा, **उपाध्यक्ष :-** (1) राजकीय - डॉ. दीपक शर्मा-खेतड़ी (2) विश्वविद्यालय - डॉ. नंदकिशोर पाण्डेय-जयपुर, **महामंत्री :-** डॉ. नारायण लाल गुप्ता-अजमेर, **संयुक्त मंत्री :-** (1) राजकीय - डॉ. गंगाश्याम गुर्जर-अलवर (2) विश्वविद्यालय - डॉ. हीराराम-जोधपुर, **कोषाध्यक्ष :-** डॉ. अखिलेश्वर शर्मा-दौसा, **आंतरिक अंकेक्षक :-** डॉ. सोमकान्त भोजक-अजमेर **संगठन मंत्री :-** डॉ. ग्यारसीलाल जाट-सीकर, **सहसंगठन मंत्री :-** डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत-सरदारशहर, **संभाग संगठन मंत्री :-** जयपुर संभाग - डॉ. राजेन्द्रकुमार शर्मा-सवाईमाधोपुर, चित्तौड़ संभाग - डॉ. नंदसिंह नरुका-बूंदी, जोधपुर संभाग- डॉ. कैलाश डागा-जोधपुर, **कार्यकारिणी सदस्य :-** 1. डॉ. सरबन सिंह-हनुमानगढ़, 2. डॉ. मंजू गुप्ता-बारां, 3. डॉ. सत्यनारायण शर्मा-कोटड़ा, 4. डॉ. सतीश त्रिगुणायत-भरतपुर, 5. श्री गिरधारीलाल-सांभर, 6. डॉ. संजीव त्यागी-दौसा, 7. डॉ. सुदर्शन सिंह राठौड़-जालोर, 8. डॉ. रेखा भट्ट-उदयपुर, 9. डॉ. सावन जांगिड़-भीलवाड़ा, 10. डॉ. पृथ्वीराज मीणा-गंगापुरसिटी, 11. डॉ. रामनिवास-चिमनपुरा, 12. डॉ. दिलीप गोयल-कोटा।

13. **विवेकानंद जयंती एवं कर्तव्य बोध दिवस पर कार्यक्रम सम्पन्न :** रुक्टा (रा.) की विभिन्न इकाईयों ने विवेकानंद जयंती एवं कर्तव्य बोध दिवस समारोह पूर्वक मनाए। इस अवसर पर विवेकानंदजी की प्रतिमा/चित्र पर माल्यार्पण किया गया, विवेकानंद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विचार व्यक्त करते हुए शिक्षकों ने समाज के प्रति कर्तव्य का स्मरण किया।

14. **राज्य के मुख्य सचिव श्री सी. के. मैथ्यू से शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में भेंट :** 28 जनवरी 2013 को संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव श्री सी. के. मैथ्यू से शिक्षकों की विभिन्न मांगों के संबंध में विस्तृत

वार्ता की। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षकों का पक्ष रखते हुए श्री मैथ्यू को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने 30 सितम्बर 2009 को मंत्री परिषद् मे लिये गये निर्णय की अनुपालना में वित्त विभाग ने आदेश संख्या एफ-14 (1) एफ.डी. (रुल्स)/2009 दिनांक 12 अक्टूबर 2009 के द्वारा राज्य के कॉलेज शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान देने के आदेश जारी किये थे। इस आदेश के बिन्दु संख्या 22 में यू.जी.सी. रेगुलेशन के अनुसार सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन की बात कही गई थी। किन्तु 21-12-2012 को राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन के संबंध में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर पदनाम परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि यू.जी.सी. रेगुलेशन के प्रतिकूल है। इससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार 2009 में पारित आदेश के क्रम में आवश्यक संशोधन करने के स्थान पर पदनाम परिवर्तन नहीं करने की प्रक्रिया में है। इस विषय में मुख्य सचिव जी के समक्ष यू.जी.सी. एवं एम.एच. आर. डी. के संबंधित आदेश प्रस्तुत करते हुए उनके ध्यान में लाया गया कि यू.जी.सी. द्वारा दी गई वेतनमान योजना में उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों का व्याख्याता पदनाम पूर्णतया विलोपित कर संपूर्ण देश में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर पदनाम देने की व्यवस्था की गई है। यू.जी.सी. वेतनमान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा भी पदनाम परिवर्तित कर असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर कर दिये गये हैं। राजस्थान के महाविद्यालय शिक्षकों का पदनाम परिवर्तित नहीं होने से अकादमिक रूप से देश के अन्य शिक्षकों की तुलना में वे योग्य होते हुए भी पिछड़ रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिवजी से वार्ता करते हुए बताया कि पदनाम परिवर्तन की व्यवस्था से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा वरन् अकादमिक रूप से राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक उत्कृष्टता ही प्राप्त करेगा।

प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिवजी को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के आदेश जारी करते समय महाविद्यालय शिक्षकों को 60 प्रतिशत एरियर राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2009-2010 में करने की स्वीकृति प्रदान की थी। एरियर 40 प्रतिशत राशि का भुगतान वित्तिय वर्ष 2010-11 में किया जाना था किन्तु दो वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी तक एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है। संगठन ने 40 प्रतिशत एरियर राशि भुगतान के आदेश जारी करवा कर शिक्षकों को वांछित लाभ अविलम्ब प्रदान करने की मांग की।

प्रतिनिधि मंडल ने श्री मैथ्यू का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया कि दिनांक 21-12-2012 को शासन सचिवालय में सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया है कि करियर एडवांसमेंट योजना राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित के अनुसार होगी। जबकि देश भर के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समान व्यवस्था 1973 में प्रभावी होने के समय से ही राज्य के महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान योजना का लाभ मिल रहा है। 1986 व 1996 में भी यू.जी.सी. द्वारा किये गए संशोधनों के अनुरूप ही राज्य के शिक्षकों के वेतनमान स्वीकृत किये गये एवं 1986 व 1998 के सी.ए.एस. के लाभ भी यू.जी.सी. की अनुशंसानुसार यथा समय स्वीकृत किये गये। तथापि उक्त बैठक में ''यू.जी.सी. की अनुशंसानुसार'' न होकर ''राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित'' ऐसा निर्णय लिया गया है जो अनावश्यक तो है ही, साथ ही शिक्षकों के मन में भ्रम एवं राज्य सरकार की मंशा के प्रति संदेह उत्पन्न करने वाला है। संगठन ने मुख्य सचिवजी से आग्रह किया कि सी.ए. एस. योजना के लाभ यू.जी.सी. की अनुशंसानुसार ही राज्य में लागू करने के आदेश प्रदान करावें।

मुख्य सचिवजी से वार्ता के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें अवगत करवाया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के विषय में अभी तक प्रभावी कार्यवाही नहीं की है जबकि उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों की कार्य की प्रकृति केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में मूलत: एक ही है। संगठन ने बिना विभेद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की मांग की।

प्रतिनिधि मंडल ने श्री मैथ्यू को बताया कि राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग समिति ने 30-12-2008 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु पात्र शिक्षकों के वरिष्ठ व चयनित वेतनमान स्वीकृत किये थे। दिसम्बर 2008 के बाद कई शिक्षक वरिष्ठ व चयनित वेतनमान के पात्र हो गये हैं, किन्तु राज्य सरकार के द्वारा इतना समय बीत जाने के बाद भी संवीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है। संगठन ने संवीक्षा समिति की बैठक अविलम्ब आयोजित करने की मांग की। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि मंडल ने पुरानी लंबित अन्य मांगों के संबंध में भी सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। श्री मैथ्यू ने संगठन की ओर से रखे गये बिन्दुओं को ध्यान पूर्वक सुना एवं वित्त सचिव तथा उच्च शिक्षा सचिव से तुरन्त इस संबंध में बात की। मुख्य सचिवजी ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि वे वार्ता के दौरान उठाये गये विषयों को स्वयं गंभीरता से लेकर शीघ्र ही प्रदेश के शिक्षकों की भावना के अनुसार शिक्षकों के हित में निर्णय लेंगे। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष डॉ. मधुर मोहन रंगा, महामंत्री डॉ. नारायण लाल गुप्ता तथा संगठन मंत्री डॉ. ग्यारसीलाल जाट शामिल थे।

15. **प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा से भेंट :** 28 जनवरी 2013 को ही संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख शासन सचिव श्री राजीव स्वरूप से शिक्षकों की विभिन्न लम्बित समस्याओं के संबंध में भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने 21 दिसम्बर 2012 को सचिवालय में सम्पन्न बैठक के निर्णयों पर आपत्ति व्यक्त की तथा प्रमुख शासन सचिवजी से पदनाम परिवर्तन, 40 प्रतिशत एरियर राशि के भुगतान, सी.ए.एस. के लाभ, पूर्व व अन्यत्र की गई सेवा का लाभ, सीनियर व सलेक्शन स्केल के लिए स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित करने, निदेशक पद पर महाविद्यालय शिक्षा के वरिष्ठतम शिक्षक को ही नियुक्त करने व नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ के शिक्षकों के वेतन यू.जी.सी. वेतनमान में स्थिरीकरण करने सहित अन्य पुरानी लम्बित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। प्रमुख शासन सचिवजी ने ध्यान पूर्वक संगठन के पक्ष को सुना तथा इन विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही का मन्तव्य व्यक्त किया।

16. **मुख्यमंत्री जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी से शिक्षक समस्याओं के समाधान की मांग :** संगठन ने मुख्यमंत्री जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिख कर 21 दिसम्बर 2012 को सचिवालय में सम्पन्न बैठक में शिक्षकों के हितों के विपरीत लिये गये निर्णयों पर विरोध व्यक्त किया है। इस संबंध में संगठन ने मुख्यमंत्रीजी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाया है कि उपर्युक्त बैठक में लिये गये निर्णय एम.एच.आर.डी. के निर्देशों एवं यू.जी.सी. के रेग्युलेशन के विपरीत है तथा राज्य के शिक्षकों के व्यापक हित का दमन करते हैं। संगठन ने उपर्युक्त निर्णयों को निरस्त कर अविलम्ब पदनाम परिवर्तन करने, 40 प्रतिशत एरियर निर्गत करने, कॉलेज शिक्षा निदेशक के पद पर वरिष्ठतम शिक्षक नियुक्त करने, सी.ए. एस. का लाभ यू.जी.सी. के अनुंशसानुसार देने, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने, पूर्व व अन्यत्र की गई सेवा का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को देने सहित अन्य लम्बित मांगों को पूरा करने की मांग मुख्यमंत्री जी एवं उच्च शिक्षामंत्री जी से की है।

17. **अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मांग पत्र प्रस्तुत :** 28 जनवरी 2013 को रुक्टा (रा.) द्वारा शैक्षिक महासंघ के उच्च शिक्षा संवर्ग का विस्तृत मांग पत्र प्रधानमंत्री जी, मानव संसाधन विकास मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षामंत्री जी एवं राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को प्रस्तुत/प्रेषित किया गया। मांग पत्र में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा में स्वायत्त नियामक आयोग स्थापित करने, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रशासनिक एवं राजनैतिक हस्तक्षेप रोकने, सम्पूर्ण देश में शिक्षकों का पदनाम असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर किये जाने, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किये जाने, यू.जी.सी. वेतनमान में विसंगतियों को दूर किये जाने, भारतीय मूल्यों एवं राष्ट्रीय पहचान को शामिल करते हुए शिक्षा पद्धति की पुनः संरचना करने, शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात ठीक करने, कालेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के

लिए समयबद्ध पदोन्नति योजना को लागू करने, उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने, शिक्षकों को नि:शुल्क हैल्थकार्ड योजना उपलब्ध कराने, उचित ढंग से चयनित, नियमित एवं स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति करने, उच्च शिक्षा के आधारभूत ढ़ांचे को विकसित कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पैंशन योजना को समस्त शिक्षकों के लिए लागू करने सहित अन्य मांगें शामिल थी।

18. **आधुनिक संचार माध्यमों का प्रयोग :** पिछले वर्षों में संचार तकनीक में आए अभूतपूर्व परिवर्तनों से सूचना संप्रेषण के परम्परागत माध्यमों के अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सामूहिक सम्पर्क के नवीनतम साधनों पर निर्भरता बढ़ी है। रुक्टा (रा.) इन सब परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर कर चल रहा है। संगठन के पदाधिकारी मोबाईल पर हमेशा SMS एवं ध्वनि सम्पर्क के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट www.ructarashtriya.org पर संगठन की नवीनतम गतिविधियों, सूचनाओं, फोटो एवं परिपत्र आदि को देखा जा सकता है तथा अध्यक्ष एवं महामंत्री से ई-मेल info@ructarashtriya.org पर सम्पर्क किया जा सकता है। इन सबके अतिरिक्त परस्पर विचार विमर्श एवं जानकारी के आदान प्रदान के लिए रुक्टा (रा.) का face book पर भी अकांउट है। जिसका id RUCTA(rashtriya) तथा पता - www.facebook.com/groups/101630539967835/ है। सभी सक्रिय सदस्यों को इसे join करने का आग्रह है। रुक्टा (रा) के सदस्यों को एक साथ इन्टरनेट के माध्यम से SMS भेजने की भी व्यवस्था है, जिसका sender id RUCTA R है। संपर्क में इन नवीनतम साधनों के उपरान्त भी संगठन एवं सरकार से सम्पर्क का प्रभावी माध्यम लिखित पत्राचार ही है, संगठन के सदस्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं, जानकारियों को लिखित पत्र से अवश्य अवगत कराए, ऐसा आग्रह है।

19. **शैक्षिक मंथन की सदस्यता :** अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा प्रकाशित शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि मासिक पत्रिका शैक्षिक मंथन द्वारा पिछले छ: वर्षों से निरन्तर शिक्षा, शिक्षक एवं समाज से जुड़े ज्वलंत, समसामयिक विषयों पर उत्कृष्ट वैचारिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। शैक्षिक क्षेत्र में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों के साथ हमारा चिंतन एवं मताभिव्यक्ति स्पष्ट एवं प्रभावी हो, ऐसा उच्च शिक्षा क्षेत्र में दिशा देने वाले हम सब शिक्षकों से अपेक्षित है। सभी सक्रिय सदस्यों से पत्रिका के अधिकाधिक संख्या में सदस्य बनाने का आग्रह है। पत्रिका का वार्षिक अथवा आजीवन सदस्य बनने के लिए इकाई सचिव/सक्रिय सदस्य के माध्यम से अथवा shaikshikmanthan@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सका है।

सरकार के साथ संगठन निरन्तर पत्राचार एवं व्यक्तिश: वार्ताओं के माध्यम से शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्नरत है। संगठन ने शिक्षकों की भावनाओं को सरकार के समक्ष रखा है तथा सरकार के द्वारा सकारात्मक निर्णय के प्रति आशान्वित भी है, तथापि लोकतांत्रिक ढंग से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए हम सब की तैयारी रहे, ऐसा आप सबसे आग्रह है।

विश्वविद्यालय परीक्षाएं फरवरी/मार्च माह में प्रारम्भ होने जा रही है, हम सब के द्वारा विद्यार्थियों के साथ वर्ष भर की गई मेहनत निश्चय ही राज्य की उच्च शिक्षा को ओर आगे ले जायेगी, ऐसा विश्वास है।

पुनश्च: शुभकामनाएं एवं आभार।

भवदीय

20, चित्रकूट कॉलोनी,
माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

अमृत वचन

ज्ञान स्वयमेव वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है।

- स्वामी विवेकानंद

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
51वाँ प्रांतीय अधिवेशन, जोधपुर

दिनांक 7 व 8 जनवरी 2013

महामंत्री प्रतिवेदन

रूक्टा (राष्ट्रीय) का 50 वाँ प्रान्तीय अधिवेशन 14 व 15 जनवरी 2012 को माँ भारती बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद नगर, कोटा में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में प्रान्त के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व रहा। 50वें अधिवेशन के पश्चात् प्रमुख गतिविधियों एवं उपलब्धियों का विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिससे संगठन की सक्रियता, गतिशीलता एवं प्राप्त सफलताओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। राज्य के राजकीय, गैर राजकीय तथा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का यह संगठन निरन्तर अधिकांश शिक्षकों की सदस्यता वाला प्रांत का प्रतिनिधि संगठन है। 30 जून 2012 को समाप्त हुए शिक्षा सत्र में 2525 सदस्यों की इतनी सदस्यता वाला यह प्रांत का एकमेव संगठन है। इस सत्र के लिए 3589 की सदस्यता को हम सब अपनी सक्रियता के आधार पर प्राप्त कर सकें हैं। संगठन के निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप कतिपय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है –

1. **शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों एवं पुस्कालयाध्यक्षों को नवीन कॅरियर एडवासमेंट योजना का लाभ** – शीरीरिक शिक्षा अनुदेशकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षो की संशोधित विभागीय पदोन्नति बैठक सम्पन्न होने के कारण इस वर्ग के शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान व चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त हो सका है। राज्य सरकार ने 17–12–2012 को इस संबंध में आदेश पारित किये हैं। उल्लेखनीय है कि संगठन इसके लिए लगातार प्रयत्नशील था।
2. **शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा में शामिल करने के आदेश** :– राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2012 को बी.एड. व एम.एड. कॉलेजों को स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा में शामिल करने के आदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि संगठन लगातार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा में सम्मिलित करने की मांग कर रहा था। प्रांतीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों में भी संगठन ने सरकार से इस विषय पर कार्यवाही करने का आग्रह किया था।
3. **अनुदान प्राप्त कृषि संकाय के प्राध्यापकों के समायोजन के आदेश जारी** :– राजस्थान स्वच्छेया ग्रामीण सेवा नियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के दिनांक 19–3–2012 के आदेश के द्वारा राज्य के अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के कृषि संकाय के 19 प्राध्यापकों को राज्य सेवा में समायोजित करते हुए अभिमुखीकरण कोर्स के आदेश जारी किये। उल्लेखनीय है कि संगठन लगातार अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के कृषि संकाय शिक्षकों के राजकीय सेवा में समायोजन की मांग कर रहा था।
4. **अनुदानित महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों एवं पी.टी.आई के लिए सी.ए.एस. योजना के परीक्षण के आदेश** :– राज्य सरकार ने दिनांक 11–5–2012 को कॅरियर एडवांसमेंट योजना में पुस्तकालयाध्यक्षों व पी.टी.आई की पात्रता निर्धारण करने हेतु अनुदानित महाविद्यालयों के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा इनके प्रकरणों का परीक्षण किये जाने के आदेश पारित किए।
5. **अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को कॅरियर एडवान्समेंट योजना का लाभ** :– राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 27–2–12 के तहत, अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को कॅरियर एडवांसमेंट योजना के लाभ के आदेश प्रसारित किये हैं। अब इन्हें राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के समान वरिष्ठ व चयनित वेतनमान प्राप्त होंगें। यह आदेश राज्य सरकार ने यू.जी.सी. आदेशों के संदर्भ में जारी किया है। संगठन ने

कॅरियर एडवांसमेंट के विषय पर लगातार सरकार को पत्र लिखे व वार्ता की।

6. **गैर सरकारी सहायता प्राप्त कृषि शैक्षिक संस्थाओं में नियमित रूप से नियुक्त 17 व्याख्याताओं व 2 शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन :-** राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13-7-2012 के तहत गैर सरकारी सहायता प्राप्त कृषि संस्थाओं के व्याख्याताओं व शारीरिक शिक्षकों का पदस्थापन किया गया है। ये आदेश राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत जारी किये गये। संगठन लगातार अनुदान प्राप्त कृषि संकाय के शैक्षिक संस्थाओं के व्याख्याताओं व शारीरिक शिक्षकों के पदस्थापन की मांग कर रहा था।

7. **अनुदान प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में उपस्थिति देने के निर्देश :-** राज्य सरकार ने आदेश 11-7-2012 के तहत राज्य के अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से राज्य सेवा में समायोजित 46 शिक्षकों को विभिन्न महाविद्यालयों में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया है। यह आदेश राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2012 के अन्तर्गत जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि संगठन लगातार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों को उच्च शिक्षा संवर्ग में सम्मिलित करने का आग्रह कर रहा था।

संगठनात्मक गतिविधियाँ

1. **शिक्षकों की विभिन्न लम्बित समस्याओं पर कार्यवाही** - संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक, निदेशक कॉलेज शिक्षा, उपशासन सचिव उच्च शिक्षा से व्यक्तिशः वार्ताओं एवं लिखे गये पत्रों के माध्यम से शिक्षकों के वेतन एवं अन्य परिलाभों से जुड़ी समस्याओं को सक्रियता पूर्वक उठाया। प्रमुख समस्याएं जिन पर संगठन ने अविलम्ब कार्यवाही की माँग की है, उनमें महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन, 40 प्रतिशत एरियर राशि का भुगतान, अकादमिक अवकाश स्वीकृति का अधिकार प्राचार्य को, पूर्व व अन्यत्र सेवा का लाभ, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात यू.जी.सी. के अनुसार, शोधकर्ता शिक्षकों को कोर्स वर्क से मुक्त किया जाय, परिवीक्षा काल में सम्पूर्ण परिलाभ, सेवानिवृत्त शिक्षकों के पैंशन पुनः निर्धारण, कृषि संकाय के शिक्षकों का राजकीय सेवा में समायोजन, एम. फिल, पीएच.डी. की अतिरिक्त वेतनवृद्धि की पुनर्वसूली, पुस्तकालयाध्यक्षो व शारीरिक शिक्षकों की संशोधित डी.पी.सी., राज्य के विधि महाविद्यालयों के संबंध में, आर. वी. आर. ई. एस. प्राध्यापकों के यू.जी.सी. एरियर के संबंध में, स्टेपिंग अप की व्यवस्था व राज्य के उच्च शिक्षा संवर्ग के गठन राज्य के विधि महाविद्यालयों की बार कौसिंल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार व्यवस्था आदि विषय सम्मिलित थे।

2. **संगठन की विभिन्न इकाईयों द्वारा मुख्यमंत्री जी व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन** - रुक्टा (रा) की लगभग सभी इकाईयों ने मुख्यमंत्रीजी, क्षेत्रीय विधायकों, सासंदों व अन्य जनप्रतिनिधियों को शिक्षकों की विभिन्न लम्बित मांगों के अविलम्ब निस्तारण के लिए ज्ञापन दिये।

3. **शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर मुख्यमंत्रीजी की कार्यवाही** - संगठन ने अपने विस्तृत ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी को महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की विभिन्न लम्बित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया था। राज्य के सभी विधायकों को ज्ञापन भेज कर अविलम्ब कार्यवाही का आग्रह किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्रीजी ने विधायकों को अवगत कराया कि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा को प्रेषित कर किया गया है।

4. **निदेशालय कॉलेज शिक्षा में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति का विरोध व इस आदेश को अविलम्ब वापिस लेने का आग्रह :-** संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दयारामजी परमार से मिलकर आग्रह किया है कि एक ओर सम्पूर्ण देश में उच्च शिक्षा को सरकारी नियंत्रण एवं नौकरशाही से मुक्त नवचिंतन हेतु प्रयास

गतिशील हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त निदेशक प्रशासनिक के पद पर आर.ए.एस. अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार ने की है। यह निर्णय न केवल शिक्षकों के अधिकारों का दमन करता है, अपितु शिक्षकों को पदोन्नति के लिए पहले से ही कम प्राप्त अवसरों में कटौती करने वाला है। ध्यातव्य है कि निदेशालय में यह अधिकारी पद, वेतन व वेतनमान में संयुक्त निदेशक एवं प्राचार्यों से कम का है। क्या यह कनिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देंगें? यह निर्धारित सेवा नियमों के विपरीत है। संगठन ने इस विषय में दिनांक 24-4-2010 द्वारा भी विरोध व्यक्त किया था। संगठन इसका तीव्र विरोध करता है व इस नियुक्ति को वापिस लेने का आग्रह मुख्यमंत्रीजी, शिक्षामंत्रीजी, मुख्यसचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा व कॉलेज शिक्षा निदेशक से किया है।

5. **विश्वविद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु कुलाधिपति जी से आग्रह :-** संगठन ने राजस्थान के विश्वविद्यालयी शिक्षकों के छठे वेतनमान के एरियर के भुगतान के संबंध में कुलाधिपति से आग्रह किया है कि इन शिक्षकों को 1-1-2006 से 30-9-2009 तक के बकाया का 60 प्रतिशत विशेष 40 प्रतिशत एरियर दिया जाना था, अभी बाकी है। संगठन ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वर्ष 2008 में चयनित शिक्षकों के 11 माह (जनवरी 2009 से नवम्बर 2009) तक के अनुचित अतिरिक्त आवासीय किराया कटौती के पुनः भुगतान का अनुरोध किया है।

6. **वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमानों की पात्रता में पूर्व/अन्यत्र की गई सेवा का समावेश :-** सम्पूर्ण देश में पूर्व अन्यत्र की गई सेवा का लाभ यू.जी.सी. वेतनमान योजना के अन्तर्गत प्रभावी हुआ। संगठन के अनवरत प्रयासों के बावजूद सार्थक परिणाम नहीं जारी होने से त्रस्त शिक्षकों ने माननीय न्यायालय का सहारा लिया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसके औचित्य को स्वीकार कर राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वरिष्ठ व चयनित वेतनमानों में पूर्व सेवा का लाभ दिया जाय। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को निरस्त कर उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को सही माना। इस संबंध में संगठन ने विभिन्न वार्ताओं के द्वारा सरकार से पुनः आग्रह किया है कि सरकार इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाकर सभी शिक्षकों को पूर्व सेवा का लाभ प्रदान करें।

7. **जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन पुनः निर्धारण के प्रयास :-** नवीन यू.जी.सी. वेतनमान लागू होने के साथ ही 1 जनवरी 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन पुनः निर्धारण में आ रही कठिनाईयों को लेकर रुक्टा (रा) के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षामंत्रीजी, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, निदेशक कॉलेज शिक्षा व उपशासन सचिव उच्च शिक्षा से समय समय पर वार्ता की व पेंशन पुनः निर्धारण का आग्रह किया।

8. **यू.जी.सी. वेतनमान की अविभाज्य व्यवस्था में पीएच.डी./एम.फिल. उपाधिधारियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदत्त वेतन वृद्धि के प्रावधान के राज्यादेश की वापसी को निरस्त कर पूर्व राज्यादेश को पुनः प्रभावी बनाने पर कार्यवाही** - संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि 6 मई 2002 के आदेश को वापिस लेकर यू.जी.सी. के अनुशंषाओं के अनुरूप पूर्ववर्ती न्याय संगत आदेश को प्रभावी बनाया जाय तथा इसका लाभ सभी शिक्षकों को प्रदान किया जाय। इस विषय को वार्ता व पत्रों के माध्यम से शिक्षामंत्री जी, प्रमुख शासन सचिव व निदेशक कॉलेज शिक्षा के समक्ष रखा।

9. **राज्य कर्मचारियों को भी केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाये :-** छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई माह तय कर दी गयी है। इसके कारण उन कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतन वृद्धि मिलने में विलम्ब हो रहा था, जिनकी वेतनवृद्धि फरवरी से जून माह में होनी थी। केन्द्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के आदेश 19-3-12 द्वारा संशोधित वेतन रचना में C.C.S.(R.P.) नियम 2008 के नियम 10 में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का प्रावधान रखा है। संगठन ने मुख्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक,

निदेशक कॉलेज शिक्षा से आग्रह किया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के कर्मचारियों/ अधिकारियों को भी उक्त आदेशानुसार वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।

10. **स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्यों को किराया भत्ता व मँहगाई भत्ता देने के संबंध में :-** राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 31-5-2012 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय) के 20 स्नातक प्राचार्यों का पदस्थापन/ स्थानान्तरण स्वयं की वेतन श्रृंखला में स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर किया था। परन्तु इन अधिकारियों को नियमानुसार किराया भत्ता व महँगाई भत्ता प्रदान नहीं किया गया है। संगठन ने प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा व निदेशक कॉलेज शिक्षा से आग्रह किया है कि इन अधिकारियों को नियमानुसार उपरोक्त लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किये जाये।

11. **राज्य के महाविद्यालयों का निरीक्षण कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा करने का विरोध :-** राज्य सरकार ने 28 मार्च 2012 को राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षकों का आकस्मिक निरीक्षण प्रात: 10 बजे कराया। कई कनिष्ठ अधिकारियों ने प्राचार्य से उपस्थिति पंजिका लेकर उसमें क्रॉस लगा दिया या अनुपस्थित दर्ज कर दिया। संगठन ने इसका तीव्र विरोध करते हुए मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा व शिक्षा निदेशक से आग्रह किया है कि इन दिनों सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं तीनों पारियों में चल रही है, प्राध्यापक निर्धारित समय से पूर्व महाविद्यालय में आते हैं व परीक्षा समाप्ति के पश्चात् महाविद्यालय छोड़ते हैं। महाविद्यालय के ठहराव आयुक्तालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार होता है। प्राचार्य अपने आप में विभागाध्यक्ष होता है, ऐसी स्थिति में कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाना उचित नहीं है। संगठन निरीक्षण का विरोध नहीं करता है परन्तु आग्रह करता है कि निदेशालय के सक्षम व वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी द्वारा ही कराया जाय।

12. **विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षकों को कर्त्तव्य पर माना जाय :-** राज्य सरकार द्वारा दि० 3 फरवरी 2012 को जारी आदेश के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की परीक्षा 2012 में प्रायोगिक परीक्षा, उड़नदस्तों व माइक्रोआर्ब्जवर का कार्य सम्पादित करने वाले कॉलेज व्याख्याताओं को कर्त्तव्य पर माना गया है। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्पादित कराने वाले कॉलेज शिक्षकों को भी कर्त्तव्य पर माना जाय। इस संबंध में संगठन ने प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा व निदेशक कॉलेज शिक्षा को पत्र लिख कर संशोधित आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

13. **प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न** - रूक्टा (रा) की प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठकें क्रमश: 10 जून 2012, 26 अगस्त 2012 व 7 जनवरी 2013 को सम्पन्न हुई। जिसमें संगठन की विभिन्न गतिविधियों व आगामी कार्ययोजना पर विचार किया गया। विभागीय समितियों व प्रकोष्ठ संयोजको की बैठकें भी जून माह में सम्पन्न हुई।

14. **शैक्षिक महासंघ के रजत जयंती वर्ष का उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न :-** 12 अगस्त को राजस्थान शिक्षक संघ कार्यालय, जयपुर में शैक्षिक महासंघ के रजत जयंती वर्ष का उदघाटन कार्यक्रम रुक्टा (राष्ट्रीय) व राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

15. **अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कार्यक्रमों में सहभागिता** - शैक्षिक महासंघ द्वारा दिल्ली में आयोजित मीडिया प्रकोष्ठ की दो दिवसीय कार्यशाला के प्रचार प्रकोष्ठ के संयोजक व सदस्यों ने भाग लिया। शैक्षिक महासंघ की कर्णावती (गुजरात), कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) व बैंगलूरु (कर्नाटक) में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में संगठन के पदाधिकारियों की सहभागिता रही। जयपुर में महासंघ द्वारा आयोजित बैठक में संगठन मंत्री, सहसंगठन मंत्री ने भाग लिया, इस बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। इसी प्रकार

अगस्त में जयपुर में आयोजित बैठक में कोषाध्यक्ष ने भाग लिया। यह बैठक लेखा से संबंधित विषयों पर आयोजित की गई। महासंघ के रजत जयंती वर्ष में आयोजित पंचम राष्ट्रीय अधिवेशन में बैंगलूरु में प्रान्तीय कार्यकारिणी विभागीय समितियाँ व प्रकोष्ठ संयोजकों ने भाग लिया।

16. **नवसंवत्सर पर शैक्षिक संगोष्ठी सम्पन्न :-** अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्त्वावधान में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय व राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की अजमेर ईकाइयों द्वारा नवसंवत्सर विक्रम संवत २०६९ के अवसर पर शैक्षिक संगोष्ठी **''वैश्विक एवं वैज्ञानिक कालगणना''** विषय पर आयोजित की गई। इसमें रुक्टा (रा) के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

17. **महापुरुषों की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई :-** सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत महापुरुषों की जयंतियाँ समारोह पूर्वक मनाई गई। संगठन के पदाधिकारियों व सक्रिय कार्यकर्त्ताओं ने महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व शाम को संगोष्ठी में भाग लिया।

18. **महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय इकाइयों में शिक्षकों से सम्पर्क :-** रुक्टा (रा.) के अध्यक्ष, महामंत्री, संगठनमंत्री, सहसंगठनमंत्री, प्रान्तीय कार्यकारिणी सदस्यों, विभागीय समितियों एवं प्रकोष्ठों के सदस्यों ने रूक्टा (रा.) की विभिन्न इकाइयों में बैठकों द्वारा शिक्षकों से सम्पर्क कर प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं, चिन्ताओं, एवं सुझावों को जाना व संगठन की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।

19. **50 वें प्रांतीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर कार्यवाही :-** संगठन ने 50वें प्रांतीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों पर मुख्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा निदेशक कॉलेज से शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह किया। समय-समय पर उच्च अधिकारियों से वार्ता के समय भी इन प्रस्तावों पर कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

20. **राजकीय नेहरु मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ के कार्मिकों को छठे वेतनमान का लाभ देने का आग्रह :-** राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 15 जुलाई 2010 के द्वारा नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ (श्रीगंगानगर) को राजकीय महाविद्यालय का स्वरूप प्रदान किया था। इस महाविद्यालय के 34 कार्मिकों को भी राज्य सरकार के आदेश के तहत नियुक्त किया था। इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों व अन्य कार्मिकों का राजकीय सेवा में समायोजन होने के बाद भी इन्हें छठे वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इनमें से कुछ कार्मिकों की सेवानिवृत्ति भी निकट भविष्य में है। संगठन ने निदेशक कॉलेज शिक्षा से आग्रह किया है कि इन्हें छठे वेतनमान का लाभ शीघ्र प्रदान किया जाय।

21. **ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले प्राध्यापकों के वेतन के संबंध में आग्रह :-** राज्य सरकार ने ग्रामीण सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों से आवेदन पत्र भरवाये थे। कुल 781 प्राध्यापकों ने विकल्प पत्र प्रस्तुत किये परन्तु 80 प्राध्यापकों ने विकल्प पत्र नहीं भरे थे। संगठन को प्राप्त जानकारी के अनुसार इन शिक्षकों को महाविद्यालय प्रशासन पूरा वेतन नहीं दे रहा है। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि इन महाविद्यालयों को अनुदान नियमों के अन्तर्गत अनुदान जारी करें ताकि इन शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन प्राप्त हो सके।

22. **म. द. स. विश्वविद्यालयों के शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष में रुक्टा (रा.) के प्रतिनिधित्व हेतु आग्रह :-** संगठन ने म. द. स. विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिख कर आग्रह किया है कि रुक्टा (रा.) राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों का प्रतिनिधि संगठन है। विश्वविद्यालय के आदेश में संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं है अत: संशोधित आदेश जारी कर संगठन को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये।

23. **श्री जैन तेरापंथ महाविद्यालय राणावास पाली के शिक्षकों का राजकीय सेवा में समायोजन का आग्रह** - रूक्टा

(रा) ने श्री जैन तेरापंथ महाविद्यालय राणावास पाली के चार व्याख्याताओं को राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षण सेवा नियम 2010 के तहत राजकीय सेवा में समायोजन हेतु विकल्प पत्र प्रेषित करने पर शीघ्र कार्यवाही करने का राज्य सरकार से आग्रह किया है। इस संबंध में संगठन ने उच्च शिक्षामंत्री, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा एवं निदेशक कॉलेज शिक्षा को पत्र प्रेषित किये हैं।

24. **सेवानिवृत शिक्षकों द्वारा आजीवन सदस्यता स्वीकार करना** - सेवानिवृत्त शिक्षकों से आग्रह किया गया था कि वे रूक्टा (रा) की आजीवन सदस्यता ग्रहण करें। हर्ष का विषय है कि कई सेवानिवृत्त शिक्षकों ने संगठन की आजीवन सदस्यता को स्वीकार किया है।

चुनौतियाँ

संगठन द्वारा निरन्तर की गई गतिविधियों, कार्यक्रमों, प्रदर्शनों, भेंटवार्ताओं एवं ज्ञापनों के परिणाम स्वरूप कई सफलताएं मिली हैं। कुछ समस्याओं का समाधान भी हुआ है तथापि बहुत-सी चुनौतियाँ बाकी हैं इनमें प्रमुख रूप से निम्न हैं :- (1) एरियर का बकाया 40 प्रतिशत भुगतान (2) पदनाम परिवर्तन (4) पूर्व व अन्यत्र सेवा का लाभ (5) दि० 6 मई 2002 के एम.फिल., पीएच.डी. के लिए प्रोत्साहन स्वरूप देय अग्रिम वेतनवृद्धि पर रोक के आदेश को निरस्त करवाना (6) निदेशक पद पर महाविद्यालय शिक्षा से डी. पी. सी. द्वारा पदस्थापन (7) परिवीक्षा काल के प्रारंभ से ही स्थायी सेवा के सम्पूर्ण परिलाभ देना (9) समायोजित शिक्षकों का राजकीय सेवा में कार्यरत शिक्षकों के समान सम्पूर्ण परिलाभ, (11) विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं RVRES शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर का भुगतान।

संगठन की उपर्युक्त गतिविधियों का संचालन एवं सफलताएं आप सभी के सक्रिय सहयोग व मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। आशा है आगे भी लम्बित समस्याओं का समाधान अपनी सक्रियता व सजगता के आधार पर प्राप्त कर सकेंगे। जो कमियाँ रही हैं उनका कारण मेरी स्वयं की योग्यता एवं क्षमता की सीमाएं रहीं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रांतीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों, विभागीय समितियों के पदाधिकारियों, प्रकोष्ठों के प्रभारी व सदस्यों इकाई सचिवों तथा सभी सक्रिय सदस्यों के प्रति उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु हार्दिक आभार। साथ ही कामना करता हूँ कि आप सभी का सहयोग संगठन को सतत् मिलता रहेगा।

भवदीय

(डॉ. मधुरमोहन रंगा)
[महामंत्री रुक्टा (रा.)]

प्रस्ताव

प्रस्ताव क्रमांक 1. राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के 51वें प्रान्तीय अधिवेशन के अवसर पर सम्पन्न साधारण सभा पूर्व में स्वीकार किये गये उन सभी प्रस्तावों की पुनर्पुष्टि करती है जिन पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा आयुक्तालय द्वारा अभी भी कार्यवाही अपेक्षित है। साधारण सभा इन पर शीघ्र कार्यवाही का आग्रह करती है।

प्रस्ताव क्रमांक 2. भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें सभी के साथ एक समान व्यवहार, नीतिगत निर्णय तथा न्याय किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा स्वाभाविक है। कुछ समय से राज्य सरकारें नीतिगत व प्रशासनिक निर्णय का परिहरण कर, मामलों को न्यायिक व्यवस्था द्वारा निर्णीत कराने की प्रवृत्ति दिखा रही है। अनुकूल निर्णय न होने पर विषयों को उच्चतर न्यायालयों में उलझाने और लंबित किये जाने की कोशिश की जाती है। अनेक वर्षों से विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षक इस अव्यावहारिक प्रक्रिया से प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनमान, पदोन्नति, पेंशन, नीति रहित स्थानान्तरण जैसे विषय जिन पर राज्य सरकार को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिये वहाँ स्वाभाविक न्याय प्रक्रिया के

विपरीत इस प्रकार के निर्णय लिये जाते हैं कि कर्मचारियों को न्यायालय में जाने को विवश होना पड़ता है। ऐसा ही एक प्रमुख विषय पूर्व में व अन्यत्र की गई सेवा का लाभ सभी को देने का है। यहयोजना यू.जी.सी. ने देशभर में एक समान रूप से लागू की परन्तु राजस्थान सरकार ने न केवल शिक्षकों को इससे वंचित रखा वरन् बार-बार न्यायपालिका द्वारा शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिये जाने के बावजूद हर बार अनौचित्यपूर्ण तरीके से राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में गई है। सभी बिन्दुओं पर न्यायपालिका द्वारा शिक्षकों के पक्ष में निर्णय होने के बावजूद राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों को एक समान लाभ प्रदान करने के न्याय संगत आचरण करने के स्थान पर जहाँ एक ओर व्यक्तिगत अपीलकर्ताओं को ये लाभ दिये हैं वही उनके साथ न्यायिक विवाद भी जारी रखे हुए हैं। यह सार्वजनिक धन, जिसकी कि राज्य सरकार एक ट्रस्टी है, का घोर दुरुपयोग है। न्यायालयों में अनावश्यक रूप से सार्वजनिक धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। यही नहीं एक ही प्रकार के निर्णय का लाभ अनेक शिक्षकों को प्रदान कर बीच में ही शेष शिक्षकों को लाभ से वंचित करते हुए असमान व्यवहार कर न्यायालय में जाने को विवश कर रहे हैं। ये कुछ उदाहरण मात्र है।

रुक्टा (राष्ट्रीय) के 51वें अधिवेशन की यह साधारण सभा सरकार से आग्रह करती है कि सभी के प्रति एक समान नीति अपनाते हुए न्यायालयों द्वारा निर्णय कराने की प्रवृत्ति का परिहरण करें और सार्वजनिक धन को लोक कल्याणकारी कार्यों में लगायें।

प्रस्ताव क्रमांक 3. राजस्थान राज्य में उच्च शिक्षा के व्यापक प्रसार हेतु उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निजी आधार पर कार्य करने वाले महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों का भारी प्रसार हुआ है। परन्तु जहाँ एक ओर निजी उद्यमियों को नये-नये क्षेत्रों व विद्याओं में शैक्षिक प्रसार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं वही दूसरी ओर पूर्व में स्थापित विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को समुचित साधनों को प्रदान नहीं करने की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर हुई है। कभी-कभी यह नीति ऐसा आभास कराती है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा में प्रत्यक्ष योगदान से पूर्णत: मुक्त होना चाहती है, यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। राज्य के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय जहाँ लम्बे समय से शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं वही विज्ञान विषयों के लिए अतिआवश्यक प्रयोगशाला स्टॉफ, संस्थाओं के सुचारूसंचालन हेतु अतिमहत्वपूर्ण मंत्रालयिक कर्मचारियों आदि की नयी भर्ती बंद होने एवं लगातार सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप महाविद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था एवं गुणवत्ता को बनाये रखना लगभग असंभव होता जा रहा है।

रुक्टा (राष्ट्रीय) के 51वें अधिवेशन की साधारण सभा राज्य सरकार से आग्रह करती है कि राज्य में गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था बनाने हेतु सभी श्रेणियों का मानव संसाधन शीघ्र प्रदान करें।

प्रस्ताव क्रमांक 4. रुक्टा (राष्ट्रीय) के गत अधिवेशन के पश्चात शिक्षा जगत के हमारे कुछ साथी प्रभु तत्व में विलीन हो गये हैं। संगठन के 51वें अधिवेशन की यह साधारण सभा डॉ. कुंदन कोठारी (उदयपुर), डॉ. तेजेन्द्रसिंह (अजमेर), डॉ. बी. एन. माथुर (अजमेर), डॉ. एच. बी. सक्सैना (अलवर), डॉ. माधुरीसिंह (बून्दी) व डॉ. एस. एल. जैन (बीकानेर), डॉ. सी. एस. रावत (झुंझुंनु), डॉ. बी. एल. लड्ढा (अलवर), डॉ. आर. एल. व्यास (उदयपुर), श्री जगभूषण गुप्ता (लक्ष्मगढ़) डॉ. एम. एल. वर्मा (सीकर), डॉ. ओ. पी. दरगन (अलवर) के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इनकी सद्गति हेतु प्रार्थना करती है एवं परमपिता परमात्मा से कामना करती है कि इनके परिजनों को इस असह्य दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

भवदीय

(डॉ. मधुरमोहन रंगा)
[महामंत्री रुक्टा (रा.)]

के. 52
कृष्ण गंज, अजमेर-305 001 (राज.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

आय-व्यय खाता

(30 जून 2012 को समाप्त वर्ष के लिए)

इकाइयों को सहायता	50,620-00	सदस्यता प्राप्ति	
डाक व्यय	18,637-00	2009-2010	80-00
दूरभाष व मोबाईल	18,703-00	2010-2011	400-00
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	16,555-00	2011-2012	2,02,000,00
यात्रा व्यय	40,798-00		2,02,480-00
फोटो स्टेट व टाइप	4,858-00	इकाइयों का अंश	50,620-00
पारिश्रमिक	12,000-00	इकाइयों से विशेष सहायता	6,240-00
50वें अधिवेशन हेतु सहा.	50,000-00	स्थायी जमा खाते पर ब्याज	1,53,237-00
अ.भा.रा.शै.महासंघ पर व्यय	19,026-00	बचत खाते पर ब्याज	4,088-00
विविध	11,751-00	आजीवन सदस्यता	5,000-00
आय का व्यय पर आधिक्य	284788-00	स्मारिका विज्ञापन	95500-00
		50वें अधिवेशन का आधिक्य	10551-00
	5,27,736-00		5,27,736-00

चिट्ठा 30 जून 2012

आय का व्यय पर आधिक्य			रोकड़ बचत बैंक खाता		
गत वर्षों का	16,72,690-20		ICICI	यूको	
इस वर्ष का आधिक्य	2,84,788-00		5976-00	1,71,670-00	
		19,57,478-20			1,77,646-00
महामंत्री को देने बाकी	12,668-80		मियादी जमा खाता		
			ICICI	यूको	
			9,21,427 + 8,71,074		
					17,92,501-00
		19,70,147-00			19,70,147-00

हस्ताक्षर

डॉ. ग्यारसीलाल जाट
अध्यक्ष

हस्ताक्षर

डॉ. मधुर मोहन रंगा
महामंत्री

Certified that I have audited the accounts books and income and expenditure account and balance sheet of RUCTA (R.) for the period ending 30th June 2012 and report that I have obtained all information and explanations which to the best of my knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit. In my opinion and to the best of my information and explanation given to me, the balance sheet gives true and fair view of the Association on 30th June 2012 and excess of income over expenditure for the year ended on that date.

(Dr. S. K. Bhojak)
Auditor